**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 154 सन 2014

अनवान :–

1. देवीलाल पुत्र जीताराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

**बनाम**

1. गोपालराम पुत्र जीताराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सन्तोष पत्नि कृष्णलाल जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. बशीलाल 4. रमेश कुमार 5. महावीर प्रसाद पि0 कृष्णलाल जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. रामप्यारी 7. रूकमा 8. केसर 9 धर्मा 10 गुडडी 11 माना 12 पिसती पुत्रीयान जीताराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तसहील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88**

उपस्थित : श्री हरिसिह सिहाग अधिवक्ता वादी
श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता प्रतिवादी 1 ,2
पेरोकार राज

**निर्णय दिनांक :–** 10/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा मुन्सरी के खसरा न0 166 की 6.18 बीधा , खसरा न0 214/1 की 15.10 बीधा , खसरा न0 275/2 की 36.19 बीधा कुल 59.17 बीधा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 गोपाल तथा मृतक कृष्णलाल व मुतवफी चुन्नी जो वादी की माता है के नाम से बहिब राजस्व रिकार्ड में दर्ज मश्तरका खाता व कब्जा काश्त की भूमि है।

वादी की माता चुन्नी की मृत्यू के बाद में इस भूमि में जो चुन्नी का हिस्सा था उस हिस्सा का विरास्तन नामान्तकरण वादी व प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज हो गया इसी दौरान वादी का भाई कृष्णलाल फोत हो गया था जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 है

उक्त नामान्तकरण के तहत मृतक चुन्नीदेवी के हिस्सा की भूमि में प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 का नाम दर्ज होने के बाद प्रतिवादीया संख्या 6 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को कतई विधि विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक में परित्याग दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 13.5.2014 को तहरीर व तस्दीक करवा दी यह दस्तावेज दस्तवरदारी वाद के हकुक के मुकाबले शुन्य व बेअसर है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को इस दस्तबरदारी से कोई हक व हिस्सा हासिल नही होते है क्योकि कोई भी सहकाश्तकार किसी एक सहकाश्तकार के पक्ष में अपना हक हिस्सा परित्याग नही कर सकती है क्योकि वह केवल अपने हक का परित्याग करता है जो कानुनन सभी सह काश्तकारों के पक्ष में परित्याग किया हुआ माना जावेगा।

प्रतिवादी संख्या 1 , 2 दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 13.05.2014 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 6 से 12 का हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से दर्ज करवाकर इस भूमि को फरोख्त करने पर आमादा है जिससे वादी के काश्तकारी कानून का हनन होगा तथा लडाई झगडे बढेगे इसलिये वादी प्रतिवादीगण को पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वह रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को उक्त दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 13.05.2014 को खारीज करवा लेने बबात व प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 द्वारा किया गया परित्याग को

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों के बहिब परित्याग किया हुआ तस्लीम कर लेने बाबत व इस दस्तावेजात के आधार पर उक्त भूमि का नामान्तकरण अपने अकेले के नाम से नही दर्ज करवाने बाबत कहा तो वह पहले तो आना कानी करने लगा अन्त में इन्कार हो गया इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर रोही मौजा मन्सरी के खसरा न0 166/6.18 बीधा , 214/1 की 15.10 बीधा , 275/2 की 36.19 कुल 59.07 बीधा भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का 1/3 हिस्सा बनता है तथा दस्तबरदारी दिनांक 13.05.2014 के तहत प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 द्वारा यि गये अपने हक का परित्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तथा मृतक कृष्ण के समस्त वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के हक में परित्याग माना जाकर प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किये जाने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी 3 ता 12 को सम्मन तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने के कारण एक पक्षिय कार्यवाही की गई, प्रतिवादी संख्या 1 ,2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद का अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व मृतक कृष्णलाल व उनकी माता चुन्नी के कब्जा काश्त में थी चुन्नी के फोत होने पर उसका हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व मृतक कृष्णलाल व प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 के नाम से दर्ज हुआ है।

प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि दिनांक 13.05.2014 को जरिये दस्तबरदारी प्रतिवादी संख्या 1 , 2 के पक्ष में तस्दीक करवाई थी तब से विवादित भूमि उन्ही के कब्जा काश्त में चली आ रही है दस्तबरदारी दिनांक 13.05.2014 से वादी को कोई हक हिस्सा प्राप्त नही होता है केवल परेशान करने के लिये दावा पेश किया है।

प्रतिवादी अपने हक हिस्सा की भूमि को बेचान नही करना चाहता है केवल स्थगन आदेश प्राप्त करने के लिये अपने वाद में अंकित किया गया है रिकार्डेड खातेदार को बिना किसी आधार के पाबन्द नही किया जा सकता है वादी विवादित भूमि का किसी श्रेणी का टिनेन्ट नही है ना ही वाद भूमि पर वादी का कब्जा है वादी ने वाद भूमि में अपने हकों की धोषणा के लिये पेश किया गया है जो मेन्टेबल नही है वाद वादी दस्तबरदारी दिनांक 13.05.2014 को खारीज करवाने का वाद पेश किया है जो इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार का ना होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को जरिये दस्तबरदारी दिनाक 13.05.2014 से प्राप्त हुई है जब तक दस्तबरदारी दिनांक 13.05.2014 प्रभाव में है तब तक वादी इस अदालत से किसी प्रकार की धोषणा करवाने का अधिकारी नही है इसलिये वाद न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नही होने के कारण खारिज योग्य है वाद वादी खारिज फरमाया जावे।

जबाब शामिल मिसल किया जाकर वादी के वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के जबाब दावा के आधार पर निम्नप्रकार से तनकी कायम की गई ।

1. आया कि वाद विवादित भूमि में अपने हक हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 द्वारा किया गया परित्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में शुन्य है और वह दुसरे सभी सहकाश्तकारों के पक्ष में किया गया हुआ परित्याग मानकर प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 का नाम कलमजन करवाने का वादी अधिकारी है ।? वादी
2. आया कि रोही मौजा मुन्सरी के हाल खसंरा न0 166/6.18 बीधा खसरा न0 241/1 की 15.10 बीधा 275/2 की 36.19 बीधा कुल 59.07 बीधाा भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का 1/3 हिस्सा का हक हिस्सा होना धोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे।? वादी

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नाहर (हनुमानगढ़)

3. आया क्या वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ अपने 1/3 हिस्सा की भूमि के सम्बध में कब्जा काश्त में दखल देने बाबत निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है वादी
4. क्या वादी विवादित भूमि का किसी भी श्रेणी का टिनेन्ट नही है और ना ही कब्जा काश्त है जिसके अभाव में दावा वादी नाकाबिल चलेने के है ।? प्रतिवादी
5. क्या दावा वादी दस्तबरदारी दिनांक 13.05.2014 को खारीज करवाने बाबत है इसलिये वादा अदालत के क्षेत्राधिकार का नही है ।? प्रतिवादी
6. दादरसी ।

तनकी कायम की जाकर उभयपक्षों से साक्ष्य लिये गये साक्ष्यवादी में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के द्वारा की गई साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी ने शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह अधिवक्ता प्रतिवादी ने की गई साक्ष्य लिये जाने के बाद उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा मुन्सरी के खसरा न0 166 की 6.18 बीधा , खसरा न0 214/1 की 15.10 बीधा , खसरा न0 275/2 की 36.19 बीधा कुल 59.17 बीधा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 गोपाल तथा मृतक कृष्णलाल व मुतवफी चुन्नी जो वादी की माता है के नाम से बहिब राजस्व रिकार्ड में दर्ज मश्तरका खाता व कब्जा काश्त की भूमि है।

वादी की माता चुन्नी की मृत्यू के बाद में इस भूमि में जो चुन्नी का हिस्सा था उस हिस्सा का विरास्तन नामान्तकरण वादी व प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज हो गया इसी दौरान वादी का भाई कृष्णलाल फोत हो गया था जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 है

उक्त नामान्तकरण के तहत मृतक चुन्नीदेवी के हिस्सा की भूमि में प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 का नाम दर्ज होने के बाद प्रतिवादीया संख्या 6 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को कतई विधि विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक में परित्याग दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 13.5.2014 को तहरीर व तस्दीक करवा दी यह दस्तावेज दस्तवरदारी वाद के हकुक के मुकाबले शुन्य व बेअसर है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को इस दस्तबरदारी से कोई हक व हिस्सा हासिल नही होते है क्योकि कोई भी सहकाश्तकार किसी एक सहकाश्तकार के पक्ष में अपना हक हिस्सा परित्याग नही कर सकती है क्योकि वह केवल अपने हक का परित्याग करता है जो कानुनन सभी सह काश्तकारों के पक्ष में परित्याग किया हुआ माना जावेगा।

प्रतिवादी संख्या 1 , 2 दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 13.05.201 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 6 से 12 का हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से दर्ज करवाकर इस भूमि को फरोख्त करने पर आमादा है जिससे वादी के काश्तकारी कानून का हनन होगा तथा लडाई झगडे बढेगे इसलिये वादी प्रतिवादीगण को पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वह रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

वाद वादी डिक्री किया जाकर रोही मौजा मन्सरी के खसरा न0 166/6.18 बीधा , 214/1 की 15.10 बीधा , 275/2 की 36.19 कुल 59.07 बीधा भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का 1/3 हिस्सा बनता है तथा दस्तबरदारी दिनांक 13.05.2014 के तहत प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 द्वारा यि गये अपने हक का परित्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तथा मृतक कृष्ण के समस्त वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के हक में परित्याग माना जाकर प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व मृतक कृष्णलाल व उनकी माता चुन्नी के कब्जा काश्त में थी चुन्नी के फोत होने पर उसका हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व मृतक कृष्णलाल व प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 के नाम से दर्ज हुआ है।

प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि दिनांक 13.05.2014 को जरिये दस्तबरदारी प्रतिवादी संख्या 1 , 2 के पक्ष में तस्दीक करवाई थी तब से विवादित

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

भूमि उन्ही के कब्जा काश्त में चली आ रही है दस्तबरदारी दिनांक 13.05.2014 से वादी को कोई हक हिस्सा प्राप्त नही होता है केवल परेशान करने के लिये दावा पेश किया है।

प्रतिवादी अपने हक हिस्सा की भूमि को बेचान नही करना चाहता है केवल स्थगन आदेश प्राप्त करने के लिये अपने वाद में अकित किया गया है रिकार्डेड खातेदार को बिना किसी आधार के पाबन्द नही किया जा सकता है वादी विवादित भूमि का किसी श्रेणी का टिनेन्ट नही है ना ही वाद भूमि पर वादी का कब्जा है वादी ने वाद भूमि में अपने हकों की धोषणा के लिये पेश किया गया है जो मेन्टेबल नही है वाद वादी दस्तबरदारी दिनांक 13.05.2014 को खारीज करवाने का वाद पेश किया है जो इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार का ना होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को जरिये दस्तबरदारी दिनाक 13.05.2014 से प्राप्त हुई है जब तक दस्तबरदारी दिनांक 13.05.2014 प्रभाव में है तब तक वादी इस अदालत से किसी प्रकार की धोषणा करवाने का अधिकारी नही है इसलिये वाद न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नही होने के कारण खारिज योग्य है वाद वादी खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया तनकी वार विवेचन निम्नप्रकार से है।

1. तनकी न0 1 – को साबित करने का भार वादी पर था रोही मौजा मुन्सरी के खसरा न0 166 की 6.18 बीधा , खसरा न0 214/1 की 15.10 बीधा , खसरा न0 275/2 की 36.19 बीधा कुल 59.17 बीधा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 गोपाल तथा मृतक कृष्णलाल व चुन्नी जो वादी की माता है के नाम से बहिब राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। वादी की माता चुन्नी के देहान्त होने पर उसके हक हिस्सा की भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज हो गई एवं वादी का भाई कृष्णलाल के देहान्त होने के वाद उसके हक हिस्सा की भूमि उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 है

   वादी ने चुन्नी बेवा जीताराम के द्वारा करवाई गई वसीयत प्रस्तुत की है वसीयत के अनुसार राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि दर्ज करवाने का निवेदन किया गया वादी ने उक्त वसीयत का अपने वाद में अंकन नही किया गया है वादी को वसीयत के सम्बध में किसी प्रकार का अनुतोष चाहीये तो उसे अपने वाद में अंकित किया जाकर अनुतोष की मांग करता वादी ने अपने वाद में वसीयत के सम्बध में कोई अनुतोष नही चाहा गया है मात्र दस्तवरदारी के सम्बध में ही अनुतोष चाहा गया है यदि वादी का वसीयत के सम्बध में किसी प्रकार का अनुतोष चाहता है तो वह अलग से कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है

   प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का परित्याग जरिये दस्तबरदारी दिनांक 13.05.2014 को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में करवाई गई है प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 ने अपने हकों का परित्याग जरिये रजिस्टर दस्तबरदारी के किया गया है अर्थात दस्तबरदारी रजिस्टर दस्तावेजात है वादी इस दस्तबरादारी को शुन्य करवाकर दस्तबरदारी में अंकित भूमि को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 , एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम बराबर करवाना चाहता है जो न्यायोचित नही है क्योकि दस्तबदारी एंक रजिस्टर दस्तावेजात है। रजिस्टर दस्तावेजात जब तक प्रभावी है वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है वादी दस्तबरदारी सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाने के उपरान्त ही वादी को किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त कर सकता है अतः तनकी न0 1 वादी के द्वारा साबित नही करने के कारण तनकी न0 1 वादी के विरूद्व तय की जाती है।

2. तनकी न0 2 – को साबित करने का भार वादी पर था तनकी न0 1 में यह तय हो चुका है कि दस्तबरदारी दिनांक 13.05.2014 एक रजिस्टर दस्तावेजात है जब तक दस्तबरदारी दिनांक 13.05.2014 प्रभाव में रहेगी वादी वाद भूमि में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है वादी के द्वारा चाहा गया अनुतोष दस्तबरदारी निरस्त करने की श्रेणी में आता है दस्तबरदारी निरस्त करने का

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है अतः तनकी न0 2 वादी साबित करने में नाकाम रहने के कारण तनकी न0 2 वादी के विरूद्व तय की जाती है।

3. तनकी न0 3 – को साबित करने का भार वादी पर था वादी प्रतिवादीगण को पाबन्द करवाना चाहता है कि वह रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 के द्वारा करवाई गई दस्तबरदारी के आधार पर खातेदार काश्तकार है खातेदार काश्तकार को बिना किसी आधार के पाबन्द नही किया जा सकता है साथ ही वादी ने ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पेश नही किया जिससे प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाना आवश्यक हो मात्र कथनो के आधार पर पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है अतः तनकी न0 3 भी वादी के विरूद्व तय की जाती है।
4. तनकी न0 4 – को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रतिवादी राजस्व रिकार्ड में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 भी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार थे जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 ,मृतक कृष्णलाल के पक्ष में दस्तबरदारी के जरिये अपने हकों का त्याग किया हुआ है वादी उक्त दस्तबरदारी को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 मृतक कृणलाल के वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 सभी के पक्ष में किये जाने का कथन किया है जो नही हो सकता क्योकि दस्तबरदारी वादी के पक्ष मे नही की गई है एवं जब तक दस्तबरदारी प्रभाव में वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है अर्थात वादी वर्तमान में वाद भूमि का किसी श्रेणी का टिनेन्ट नही है अतः तनकी न0. 4 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।
5. तनकी न0 5 – को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है प्रतिवादी ने रजिस्टर दस्तावेजात दस्तबरदारी जब तक प्रभाव में वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है न्यायोचित है रजिस्टर दस्तावेजात को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नही है अतः तनकी न0 5 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

उपरोक्तानुसार तनकीवार विवेचन से साबित हो चुका है कि वादी ने अपने वाद में प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि की दस्तबरदारी जो प्रतिवादी संख्या 1 एवं मृतक कृष्णलाल के पक्ष में करवाई गई थी को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के पक्ष में मानने का अनुतोष चाहा गया है वादी के द्वारा चाहा गया अनुतोष जब तक दस्तबरदारी दिनांक 13.05.2014 प्रभाव में है प्राप्त करने का अधिकारी नही है दस्तबरदारी एक रजिस्टर दस्तावेज है रजिस्टर दस्तावेजा को शुन्य या निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय नही है अर्थात वादी का वाद न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नही है।

अतः वादी का वाद साबित नही होने एवं इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसाल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10/09/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

# पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

अनवान :–

1. देवीलाल पुत्र जीताराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

**वादी**

**बनाम**

1. गोपालराम पुत्र जीताराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर जिला हनुमानगबढ।
2. सन्तोष पत्नि कृष्णलाल जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. बशीलाल 4. रमेश कुमार 5. महावीर प्रसाद पि0 कृष्णलाल जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. रामप्यारी 7. रूकमा 8. केसर 9 धर्मा 10 गुडडी 11 माना 12 पिसती पुत्रीयान जीताराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तसहील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 154 सन 2014 निर्णय दिनांक–** 10/08/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साबित नही होने एवं न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)